DOI: 10.51220/hjssh.v9i1.14

Himalayan J. Soc.Sci. & Humanities Vol- 9 pp.81 - 91, December, 2014, ISSN. 0975 - 9891

मुग़लकालीन फरमान लेखन कला-शैलियाँ एवं उनके परिप्रेक्ष्य में मध्य हिमालयी क्षेत्र के राजाओं के नाम जारी मुग़ल शासकों के फरमानों का वर्गीकरण

एस0ए0एच0 ज़ैदी एवं रेहाना ज़ैदी

इतिहास विभाग

हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, परिसर पौड़ी

Received: 28.11.2014 Accepted: 18-12-2014

ABSTRACT

शासन संचालन के लिए शासनादेशों-राजाज्ञाओं और अध्यादेशों का महत्व, उपयोगिता एवं अनिवार्यता सर्वविदित है। शासनादेशों-राजाज्ञाओं की लेखन शैलियों एवं उनके प्रेषण के लिए अपनाये गये साधनों के आधार पर उनके स्तर, महत्व तथा उनके अनुपालन की अनिवार्यता आदि का निर्धारण होता है। राजाज्ञाओं-शासनादेशों की लेखन कला शैलियों, उनको लिपिबद्ध किये जाने की परम्पराओं के विविध आयामों और उनके प्रेषण की विधियों आदि का स्वयं का एक इतिहास है। प्रस्तुत शोध-आलेख में भारतीय इतिहास के मुग़लकाल में राजाज्ञाओं और शासनादेशों, जिन्हें फरमान कहा जाता था, के लेखन की विविध शैलियों,उनके विषयानुसार उनकी श्रेणियों, उनके राजनीतिक, कूटनीतिक, वित्तीय एवं सामरिक महत्व एवं अनिवार्यता पर आधारित उनकी प्रेषण विधियों-तकनीकों आदि का अध्ययन-विश्लेषण करने के साथ ही मध्य हिमालयी क्षेत्र के राजाओं के नाम जारी मुग़ल शासकों के फरमानों को, जिन्हें पूर्ववर्ती क्षेत्रीय इतिहास लेखकों ने एक ही श्रेणी के फरमान मान लिया है,का उनकी विषय-वस्तु, लेखन शैलियों एवं प्रेषण की विधियों के आधार पर श्रेणीबद्ध करके उनका वस्तुतः वर्गीकरण किया गया है।

KEY-WORDS: मुग़लकाल,फरमान लेखन कला-शैलियाँ, मध्यहिमालयी राजाओं के नाम जारी फरमानों का वर्गीकरण

I

ऐनुउद्दीन अब्दुल्लाह माहरु मुल्तानी द्वारा रचित 'मुन्शात-ए-माहरू' नामक ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के समय में ही शासकीय आज्ञापत्रों के लेखन की कला पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी।[1] कालान्तर में मुग़ल शासक अकबर के समय में अब्दुल कासिम ख़ाँ नमकीन द्वारा रचित 'मुन्शात-ए-नमकीन' से ज्ञात होता है कि मुग़लकाल में फरमान लेखन कला-शैलियों तथा फरमान लेखन के प्रारूप में कुछ परिवर्तन हुए तथा यह कला और अधिक परिष्कृत हो गई।[2] जहाँगीर के शासनकाल में फरमान लेखन कला-शैलियों पर ''जुब्दुल इंशा'' नामक ग्रन्थ लिखा गया।[3] शाहजहाँ के समय में हरकरनदास द्वारा रचित ''इंशा-ए-हरकरनदास'', मलिक शुदा द्वारा ''निगारनामा-ए-मुंशी'' तथा चन्द्रभान ब्राहम्मन द्वारा रचित ''इंशा-ए-ब्राहम्न''आदि ग्रन्थों से भी मुग़लकाल में फरमान लेखन कला-शैलियों के विभिन्न आयामों का ज्ञान प्राप्त होता है।[2]

©SHARAD

उक्त ग्रन्थों से प्राप्त शासकीय संदेशात्मक आदेश पत्रों के प्रारूप एवं विषय-वस्तु के आधार पर उन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों-1.मुहावरात तथा 2. तौकियात में विभक्त किया जा सकता है। कालान्तर में मुहावरात श्रेणी के शासकीय पत्र भी दो भागों-(क).अहकाम (राजाज्ञायें) तथा (ख) अमिस्ल (अन्य शासकीय पत्र) में विभक्त हो गये।[2] मुग़लकाल में अहकाम ''फरमान्'' के रूप में तथा अमिस्ल ''परवान्चों'' के रूप में परिवर्तित होकर प्रचलित हुए।[3]

II

''फरमान'' को परिभाषित करने पर इसका अर्थ-आशय होगा शाही दरबार (दरबार-ए-मुअल्ला) से निर्गत ऐसा शासकीय पत्र, जिस पर निर्गत करने वाले शासक का तुग़रा (अलंकारपूर्ण पद्वियों) एवं मुहर-ए-उजक (शासक की मुद्रा/Royal Seal) अंकित की गई हो। फरमानों की भी अनेक श्रेणियाँ थीं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार थीं[4] :-

1.फरमान-ए-सियासी : राजनीतिक-कूटनीतिक विषयों से सम्बन्धित राजाज्ञायें ।
2.फरमान-ए-मुल्क़ी व माली : प्रशासनिक-आर्थिक विषयों से सम्बन्धित राजाज्ञायें ।
3.फरमान-ए-एलामी : सर्व साधारण का सूचित करने हेतु जारी राजाज्ञा (अध्यादेश)
4.फरमान-ए-ब्याज़ी : त्वरित गति से प्रेषित अत्यावश्यक राजाज्ञायें।

फरमानों की उक्त चार मुख्य श्रेणियों के अतिरिक्त कतिपय उपश्रेणियाँ भी प्रचलित रहीं[5], जैसे-

(1). फतेहनामा: शासक द्वारा विजयश्री प्राप्ति के पश्चात अधीनस्थ राजाओं, प्रान्तीय प्रशासकों और जनता को सूचित करने हेतु निर्गत राजाज्ञा।

(2).मन्शूर: किसी प्रशासनिक-सैनिक उच्चाधिकारी को प्रेषित आदेशात्मक शाही सन्देश को मन्शूर कहा जाता था। इस प्रकार के आदेशपत्रों का प्रचलन विशेष रूप से शाहजहाँ के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार युद्ध के समय हुआ। औरंगज़ेब द्वारा राजसिंहासन पर अस्थायी रूप से अधिकार कर लेने और विधिवत राज्यारोहण के बीच की अवधि में इनका प्रयोग राजाज्ञाओं के में किया गया था।

(3). हुक्म: इस प्रकार की राजाज्ञाओं के स्वरूप में भिन्नता दिखाई देती है। सामान्यत: राजमाताओं अथवा संरक्षिका शासिकाओं द्वारा निर्गत आदेश पत्रों को हुक्म/हुक्मनामा कहा जाता था, परन्तु अकबर के शासनकाल में बैरम ख़ाँ और मुनीम ख़ाँ द्वारा भी हुक्मनामें जारी करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।

(4).निशान: मुग़ल राजकुमार/राजकुमारी द्वारा जारी अर्द्धशासकीय पत्रों को निशान कहा जाता था। निशान पर उसको जारी करने वाले शाही परिवार के व्यक्ति के तुग़रा के साथ समकालीन मुग़ल सम्राट का तुग़रा भी अंकित किया जाता था।

(5).परवान्चा: अति संक्षिप्त/लघु फरमानों को फरमान्चा कहा जाता था। परवान्चा (स्मरण/संशोधन पत्र) वास्तव में फरमान्चा शब्द का ही अपभ्रन्श है। इन पर शाही मुहर-तुग़रा का लगाया जाना आवश्यक नहीं था। सामान्यत: फरमानों के पूरक पत्रों के रूप में परवान्चे जारी किये जाते थे। परवान्चों की भी कई श्रेणियाँ होती थीं, जिनमें दो श्रेणियाँ मुख्य थीं-(क) असनद-ए-अहकामी-दीवानी, इनका प्रयोग पूर्व निर्गत फरमानों की सम्पुष्टि

के लिए किया जाता था। (ख) हस्ब-उल-हुक्म, इनका प्रयोग अप्रत्यक्ष शासकीय आदेशों के रूप में किया जाता था। इस प्रकार आदेश पत्र सामान्यत: वजोरों, सूबेदारों तथा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा जारी किये जाते थे।

III

फरमानों की विषय-वस्तु मुख्यत: पांच भागों में विभक्त होती थी[6]:-

1.उन्वान: फरमान का परिचयात्मक भाग।

2.ख़िताब: फरमान का सूचनात्मक भाग।

3.हुक्म : फरमान की मुख्य विषय-वस्तु एवं आदेशात्मक भाग।

4.ताकीद: फरमान का अनुपालन न करने पर दंडित किये जाने की चेतावनी।

5.तारीख़ : फरमान जारी किये जाने की तिथि,वार,वर्ष (हिजरी)।

फरमान के उन्वान अर्थात परिचयात्मक भाग के अन्तर्गत फरमान के शीर्ष भाग के केन्द्र में सरनामा (ईश्वर की सर्वोच्चता-प्रशंसा सूचक शब्द) अंकित किया जाता था। सरनामा से ही फरमान आरम्भ होता था। बाबर एवं हुमायूँ द्वारा जारी फरमानों में सरनामा के अन्तर्गत हुव्वलग़नी (ईश्वर ही सर्वोच्च है) अंकित किया जाता था।[7] अकबर के शासनकाल में सन 1584-85 से शाहजहाँ के शासनकाल के आरम्भिक बीस वर्षो (1647-1648) तक सरनामा के अन्तर्गत 'अल्ला हो अकबर' (ईश्वर महान है) अंकित किया जाता था।[8] तत्पश्चात औरंगज़ेब एवं उसके उत्तराधिकारियों के समय तक सरनामा के रूप में ''बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम'' (आरम्भ करता हूँ ईश्वर के नाम से,जो बहुत दयालु एवं कृपालु है) अंकित किया गया।[9]

फरमानों की प्रमाणिकता के प्रतीक के रूप में फरमानों के परिचयात्मक भाग में सरनामा से कुछ नीचे की ओर फरमान जारी करने वाले शासक का तुग़रा और शाही मुहर लगाई जाती थी।[10] फरमान के इसी भाग में बांई ओर सम्राट के हस्ताक्षर अथवा उसके द्वारा कुछ शब्द लिखे जाते थे। अति आवश्यक फरमानों पर सम्राट के हस्ताक्षर के दाहिनी ओर सम्राट के हाथ (पंजे) की छाप भी अंकित की जाती थी। यह छाप उस फरमान के महत्व के साथ ही उस व्यक्ति की राजनीतिक प्रतिष्ठा की भी द्योतक होती,जिसके नाम वह फरमान जारी किया गया होता था।[11]

फरमान के इस भाग के पश्चात जो भाग आरम्भ होता था, उसे ख़िताब कहा जाता था इसके अन्तर्गत जिस व्यक्ति के नाम फरमान जारी किया जाता था, उसका नाम,पदनाम और उसकी प्रशंसा हेतु कुछ प्रशंसात्मक सम्बोधन आदि लिखे जाते थे। किसी अर्ज़दाश्त (प्रत्यावेदन) के प्रत्युत्तर में जारी किये गये फरमान पर उस अर्ज़दाश्त का हवाला (संदर्भ) भी अंकित किया जाता थ। फरमान के इस सूचनात्मक भाग को सामान्यत: ख़िताब (सम्बोधन) कहा जाता था।[12]

ख़िताब की समाप्ति पर फरमान का आदेशात्मक (हुक्म) भाग आरम्भ होता था। फरमान के इस भाग की भाषा कठोर एवं निर्देशात्मक-आदेशात्मक होती थी।[13] तत्पश्चात फरमान का ताकीद (चेतावनी) वाला भाग आरम्भ होता था। इस भाग में फरमान में अंकित आदेशों-निर्देशों का अनुपालन न करने पर दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने की चेतावनी तथा फरमान का तत्परता एवं निष्ठा से पालन किये जाने पर सम्राट द्वारा शाही अनुकम्पायें प्रदान किये जाने का आश्वासन अंकित किया जाता था।[14]

फरमान के प्रारूप को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है :-

फरमान का परिचयात्मक भाग	सरनामा सम्राट के हाथ की छाप सम्राट द्वारा स्वलिखित शब्द अथवा हस्ताक्षर सम्राट का तुग़रा सम्राट की मुहर
खिताब (फरमान का सूचनात्मक भाग)	जिस व्यक्ति के नाम फरमान जारी किया गया होता था, उसका नाम, पद, उसकी प्रशंसा हेतु प्रयुक्त सम्बोधन, फरमान किसी प्रत्यावेदन के प्रत्युत्तर में जारी किये जाने की स्थिति में उसका संदर्भ आदि
हुक्म (फरमान का आदेशात्मक एवं निर्देशात्मक भाग)	फरमान का मुख्य भाग एवं विषय-वस्तु,जो आदेशात्मक भाषा में लिखा जाता था।
ताकीद (चेतावनी)	फरमान का अनुपालन न किये पर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई किये की चेतावनी अथवा अनुपालन किये जाने पर शाही अनुकम्पाओं से नवाज़े जाने का आश्वासन आदि।
तारीख़	फरमान जारी किये जाने की तिथि,माह,सम्राट का जुलुसी (शासनकाल का वर्ष) एवं इलाही वर्ष

फरमान के अन्तिम भाग (तारीख़) में फरमान जारी किये जाने की तिथि,माह,सम्राट का जुलूसी वर्ष (सम्राट के शासनकाल का वर्ष) तथा हिजरी को अंकित किया जाता था। फरमान के पृष्ठ भाग पर फरमान को जारी किये जाने वाले दीवान (मन्त्रालय), रिसाले (अनुभाग) का नाम अंकित किया जाता था तथा उस रिसाले की मुहर लगाई जाती थी।[15]

IV

अधिकांश इतिहास लेखकों ने मध्य हिमालयी क्षेत्र के राजाओं के नाम जारी मुग़ल शासकों के फरमानों को एक ही श्रेणी के अन्तर्गत मान लिया है, जबकि यह फरमान अलग-अलग श्रेणियों, जैसे:- फरमान-ए-सियासी, हस्ब-उल-हुक्म, मुल्की-व-माली तथा फरमान-ए-बयाज़ी के फरमान हैं। मुग़लकालीन फरमान लेखन कला शैलियों के परिप्रेक्ष्य में इन फरमानों का अध्ययन-विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि 9 अज़र, 996 हिजरी (नवम्बर,सन 1588) को मुग़ल सम्राट अकबर ने कुमाऊँ के समकालीन राजा रुद्रचन्द

के नाम जो फरमान जारी किया था[16], वह मुल्की-व-माली श्रेणी का फरमान था। अबुलफज़्ल के अनुसार कुमाऊँ का राजा रुद्रचन्द सम्राट से भेंट करने के लिए लाहौर आया था। उसने अपने इलाके की अनेक दुर्लभ वस्तुयें सम्राट की नज़र की थीं। इस अवसर (9 अज़र ,996 हिजरी, नवम्बर, सन 1588) पर सम्राट ने एक फरमान जारी करते हुए कुमाऊँ के राजा को ख़िलअत, घोड़े एवं अनेक उपहारों के अतिरिक्त तराई प्रदेश में कुछ परगने बतौर इनाम जागीर प्रदान किये।[17] जैसा कि अबुलफज़्ल के उक्त विवरण से स्पष्ट है, यह फरमान भू-प्रदेश प्रदान किये जाने से सम्बन्धित है, अतः यह फरमान, फरमानों की मुल्की-व-माली (भू-वितरण एवं वित्तीय/राजस्व संबंधी राजाज्ञाओं की) श्रेणी का फरमान है। तुजुक-ए-जहाँगीरी से ज्ञात होता है कि कुमाऊँ के समकालीन राजा लक्ष्मीचन्द ने मुग़ल दरबार की यात्रा कर सम्राट जहाँगीर से भेंट की थी। इस अवसर पर जहाँगीर एवं लक्ष्मीचन्द के बीच उपहारों का आदान प्रदान भी हुआ, परन्तु जहाँगीर के शासनकाल में कुमाऊँ के राजा के नाम जारी किसी फरमान का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है।

जहाँगीर के पश्चात शाहजहाँ के शासनकाल में 28 जमादि-उस-सानी, 28 जुलूस, 1064 हिजरी (16 मई,सन 1654) को शाहजहाँ द्वारा सिरमौर एवं कुमाऊँ के समकालीन राजाओं मानधाता प्रकाश तथा बाजबहादुरचन्द के नाम जो फरमान जारी कि गये थे, उनके मसौदे से ज्ञात होता है कि शाहजहाँ ने अपने द्वितीय गढ़वाल अभियान (सन 1653-54) में गढ़वाल के विरुद्ध गढ़वाल के पड़ोसी राजाओं की सैन्य शक्ति का उपयोग करने की रणनीति बनाई थी। इस रणनीति के अन्तर्गत शाहजहाँ ने सिरमौर एवं कुमाऊँ के राजाओं को प्रलोभन दिया कि गढ़वाल पर निर्णायक विजय प्राप्त हो जाने पर गढ़वाल का पश्चिमी भू-भाग सिरमौर के राजा को तथा गढ़वाल का पूर्वी भू-भाग कुमाऊँ के राजा को पुरस्कार स्वरूप प्रदान कर दिया जायेगा।[18] जैसा कि फरमान के मसौदे (ख़िताब, हुक्म व ताकीद) से स्पष्ट है, यह फरमान पूर्णतः सियासत (कूटनीति-राजनीति) से सम्बन्धित है, अतः यह दोनों फरमान-ए-सियासी श्रेणी के फरमान हैं।

शाहजहाँ द्वारा कुमाऊँ एवं सिरमौर के राजाओं के नाम 17 सफर, 28 जुलूस, 1065 हिजरी (8 दिसम्बर, सन 1654) एवं 11 रबि-उल-अव्वल, 1065 हिजरी (18 फरवरी, सन 1655) को भी फरमान जारी किये थे,[19] इनायत ख़ाँ के विवरण (जिनकी पुष्टि मआसिर-उल-उमरा से भी होती है) से ज्ञात होता है कि शाहजहाँ ने गढ़वाल अभियान की तैयारियों को अन्तिम रूप देते हुए इस अभियान हेतु पूर्व नियुक्त एरिश ख़ाँ के स्थान पर पर्वतीय क्षेत्रें में सैनिक अभियानों के अत्यधिक रण-कुशल सेनानायक ख़लीलउल्ला ख़ाँ को नियुक्त किया और इस परिवर्तन की सूचना के साथ ही कुमाऊँ तथा सिरमौर के राजाओं को ताकीद की कि वह मुग़ल सेना के साथ सहयोग करने के लिए प्रस्थान करें।

इस फरमान द्वारा कुमाऊँ एवं सिरमौर के राजाओं को पुनः आश्वस्त किया गया कि अभियान की सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात गढ़वाल का पूर्वी एवं पश्चिमी भू-भाग उन्हें प्रदान किया जायेगा[20] जैसा कि इन फरमानों के मसौदे से स्पष्ट है, यह फरमान भी राजनीतिक-कूटनीतिक विषय से सम्बन्धित हैं, अतः यह फरमान भी फरमान-ए-सियासी श्रेणी के हैं।

गढ़वाल अभियान की समाप्ति के पश्चात 22 जमादि-उल-अव्वल, 1065 हिजरी (30 मार्च, 1655) को शाहजहाँ ने सिरमौर के राजा सौभाग्य प्रकाश के नाम एक फरमान जारी करके उसे कोट उपत्यका क्षेत्र बतौर इनाम जागीर प्रदान किया।[20] तत्पश्चात शाहजहाँ ने 14/15 मार्च, 1656 (18 जमादि-उल-अव्वल, 1066 हिजरी) को कुमाऊँ के राजा बाजबहादुरचन्द के नाम एक फरमान जारी करके उसे कुमाऊँ के तराई क्षेत्र में दो परगने बतौर इनाम जागीर प्रदान किये।[21] चूँकि उक्त दोनों फरमान भूमि अनुदानों से सम्बन्धित है, अतः यह मुल्की-व-माली श्रेणी के फरमान हैं।

कतिपय परवर्ती स्थानीय इतिहास लेखकों ने औरंगज़ेब के शासनकाल के अति आरम्भिक दिनों में उसके द्वारा कुमाऊँ के राजा बाजबहादुरचन्द के नाम जारी 4 अगस्त, सन 1658 (4 ज़िकाद, 1068 हिजरी) और सिरमौर के राजा सौभाग्य प्रकाश के नाम जारी 6 जुलाई, सन 1658 (5 शव्वाल, 1068 हिजरी), 13/14 अक्तूबर, सन 1658 (16 मौहर्रम,1068 हिजरी) एवं 11/12 फरवरी,सन 1659 (19 जमादि-उल-अव्वल,1069 हिजरी) के मन्शूरों को त्रुटिवश फरमान मान लिया है, जबकि वास्तव में वह "रम्ज़ व इशारह-ए-आलमगीर" श्रेणी के मन्शूर थे,[22] जो उसने अपने प्रथम (सांकेतिक) राज्यारोहण और द्वितीय (वास्तविक) राज्यारोहण के बीच की अवधि में जारी किये थे। यही कारण है कि इनका आधा भाग फतेहनामा (उत्तराधिकार संघर्ष में अपने भाइयों पर विजय प्राप्ति की सूचना) तथा आधा भाग फरमान की ताकीद (आदेशात्मक सूचना) के अनुरूप लिखा गया था।[23] समसामयिक घटनाचक्र का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि कुमाऊँ एवं सिरमौर के राजाओं के नाम उक्त मन्शूर औरंगज़ेब ने गढ़वाल के राजा की शरण में रह रहे सुलेमान शिकोह को उसके पिता दारा शिकोह के पास पंजाब पहुँचने से पहले ही पकड़ कर औरंगज़ेब को सौंपने तथा सुलेमान शिकोह और दारा शिकोह के बीच होने वाले पत्र व्यवहार को रोकने के लिए भेजे थे।[24]

औरंगज़ेब ने अपने द्वितीय/वास्तविक राज्यारोहण (21 रमज़ान, 1069 हिजरी/ 12 जून, सन 1659) के पश्चात सिरमौर एवं कुमाऊँ के राजाओं के नाम जो राजाज्ञायें जारी की गई, वास्तव में उन्हें ही फरमान कहा जाना चाहिए। इस क्रम में सिरमौर के समकालीन राजा सौभाग्य प्रकाश के नाम 16 शव्वाल, 1069 हिजरी (6/7 जुलाई, सन 1659) को जारी इस फरमान द्वारा औरंगज़ेब ने सिरमौर राजा को आदेश दिया कि वह गढ़वाल के राजा से सुलेमान शिकोह को प्राप्त करने के लिए मुग़ल सेनाओं के साथ सहयोग करे और अपने इलाके से पंजाब को जाने वाले उन सभी मार्गों को अवरुद्ध कर दे, जिन से होकर सुलेमान शिकोह पंजाब पहुँच सकता हो। औरंगज़ेब ने सिरमौर के राजा को आश्वस्त किया कि इस अभियान की सफलता के पश्चात उसे शाही अनुकम्पाओं से नवाज़ा जायेगा।[25] उक्त फरमान के मसौदे से स्पष्ट है कि यह फरमान, फरमान-ए-सियासी श्रेणी का फरमान था।

औरंगज़ेब द्वारा कुमाऊँ के राजा बाजबहादुरचन्द के नाम पहला फरमान 11 जमादि-उल-अव्वल, 1070 हिजरी (24/25 जनवरी, सन 1660) को जारी किया। कतिपय स्थानीय इतिहास ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि गढ़वाल के राजा से सुलेमान शिकोह को प्राप्त करने के अभियान के समय इस सूचना पर कि कुमाऊँ के राजा ने सुलेमान शिकोह को अपने इलाके में शरण प्रदान की है, कुमाऊँ के राजा पर दबाव बनाने के लिए

मुग़ल सेना ने कुमाऊँ के तराई प्रदेश के बड़े भू-भाग पर अधिकार कर लिया था, परन्तु अभियान की सफलता और यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाने पर कि राजा द्वारा सुलेमान शिकोह को शरण प्रदान नहीं की गई थी, औरंगज़ेब ने कुमाऊँ के राजा को वह इलाके लौटाये जाने हेतु उक्त फरमान जारी किया था।[26] जैसा कि उक्त संदर्भित फरमान के मसौदे से स्पष्ट है, इस फरमान को मुल्की व माली श्रेणी का ही फरमान कहा जायेगा।

तत्पश्चात 7 ज़िल्लहिज्जा, 3 जुलूस, 1071 हिजरी (3/4 अगस्त, सन 1661) को सिरमौर के राजा के नाम जारी औरंगज़ेब के फरमान से ज्ञात होता है कि सिरमौर के राजा द्वारा की गई सैनिक सेवा से प्रसन्न होकर औरंगज़ेब ने उसे कौलागढ़ का इलाका बतौर इनाम जागीर प्रदान किया। उक्त फरमान भू-प्रदेश प्रदान किये जाने से सम्बन्धित था,[27] अतः यह भी मुल्की व माली श्रेणी का फरमान था।

औरंगज़ेब द्वारा गढ़वाल के राजा पृथ्वी सिंह (पृथ्वीपतिशाह) एवं फतेह सिंह (फतेहशाह) के नाम जो फरमान जारी किये गये, उनमें पहला फरमान 16 जमादि-उल-अव्वल,1073 हिजरी (26/27 दिसम्बर, 1662) को गढ़वाल के समकालीन राजा पृथ्वीपतिशाह को उसके पुत्र मदिनी सिंह की दिल्ली में असमयिक मृत्यु की जानकारी देने और मुग़ल सम्राट की शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जारी कर विशेष वाहक द्वारा भेजा गया था। इसके प्रेषण में विलम्ब न हो, अतः इस फरमान को पृष्ठांकन आदि की औपचारिकताओं से मुक्त रखते हुए अति तीव्र गति से प्रेज़ित किया गया था। इस प्रकार के तीव्र गति से प्रेषित किये जाने वाले फरमान, फरमानों की उस श्रेणी में आते थे, जिन्हें फरमान-ए-बयाजी कहा जाता था। औरंगज़ेब द्वारा पृथ्वीपतिशाह की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर उसके उत्तराधिकारी फतेहशाह के नाम 27 जमादि-उस-सानी, 1075 हिजरी (13/14 जनवरी,1665) को जो फरमान जारी किया गया था, उसके द्वारा फतेहशाह को मुग़ल सम्राट के प्रति कादार बने रहने और कुमाऊँ के राजा द्वारा गढ़वाल के सीमावर्ती इलाके में अतिक्रमण का बदले लेने के निर्देश दिये गये थे। अतः यह फरमान सियासी फरमानों की श्रेणी का फरमान है, जिसे बयाजी फरमानों की भांति प्रेषित किया गया था।[28]

14 सफर,1078 हिजरी (5 अगस्त,सन 1667) को औरंगज़ेब ने सिरमौर के राजा बुद्ध प्रकाश के नाम जो फरमान जारी किया था,[29] वह फरमान-ए-सियासी श्रेणी का फरमान था। इस फरमान द्वारा औरंगज़ेब ने बुद्ध प्रकाश को उसके पिता सौभाग्य प्रकाश की मृत्यु के पश्चात सिरमौर के राजा के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए मुग़ल सम्राट के प्रति वफादार बने रहने के निर्देश जारी किये थे।

तत्पश्चात औरंगज़ेब ने 30 सफर, 1085 हिजारी (5 जून, सन 1674) को बुद्ध प्रकाश के नाम जो फरमान जारी किया था, वह भी फरमान-ए-सियासी था। इस फरमान के द्वारा बुद्ध प्रकाश को आदेश दिया गया था कि पिंजौर का इलाका सम्राट द्वारा अपने दूधा भाई फिदा ख़ाँ को दिया गया है, परन्तु वहाँ का ज़मींदार सम्राट के आदेश का अनुपालन करने में आनाकानी कर रहा है, चूँकि पिंजौर का इलाका बुद्ध प्रकाश के इलाके के निकट है,[29] अतः बुद्ध प्रकाश को आदेशित किया जाता है कि वह बल प्रयोग करके पिंजौर के इलाके

पर फ़िदा ख़ाँ को कब्ज़ा दिला दे।[30]

20 रबि-उल-अव्वल, 1109 हिजरी (6 अक्तूबर, सन 1697) को औरंगज़ेब द्वारा बुद्ध प्रकाश के पुत्र मेदिनी प्रकाश के नाम जो फरमान जारी किया था, वह भी फरमान-ए-सियासी था। इस फरमान द्वारा औरंगज़ेब ने मेदिनी प्रकाश को उसके पिता बुद्ध प्रकाश की मृत्यु के पश्चात सिरमौर के राजा के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए उसे अपने पूर्वजों की भांति मुग़ल सम्राट के प्रति कादार बने रहने के निर्दशों के साथ ही अन्य आवश्यक राजनीतिक-कूटनीतिक परामर्श दिये थे।[31] औरंगज़ेब द्वारा 2 रबि-उस-सानी, 1114 हिजरी (26 अगस्त, सन 1702) को मेदिनी प्रकाश के पुत्र हरि प्रकाश के नाम जारी फरमान भी जारी फरमान भी फरमान-ए-सियासी था। इस फरमान द्वारा औरंगज़ेब ने मेदिनी प्रकाश की मृत्यु के पश्चात सिरमौर के राजा के रूप में उसके पुत्र हरि प्रकाश के नाम की पुष्टि की थी।[32]

औरंगज़ब द्वारा कुमाऊँ के राजा जगतचन्द के नाम जिन दो फरमानों का उल्लेख प्राप्त होता है, उनमें से 3 रबि-उस-सानी,1116 हिजरी (4/5 अगस्त, सन् 1704) को जारी फरमान वास्तव में एक हस्ब-उल-हुक्म था। इस हस्ब-उल-हुक्म द्वारा जगतचन्द को अवगत कराया गया था कि उसने जो वस्तुयें बतौर नज़र-पेशकश सम्राट के लिए भेजी थीं, वह प्राप्त हो गई हैं।[33] तत्पश्चात 8 शव्वाल, 1117 हिजरी (23जनवरी, सन 1706) को जारी फरमान एक मुल्की-व-माली फरमान था, जिसके द्वारा औरंगज़ेब ने जगतचन्द को एक हाथी एवं कालागढ़ का कुछ बतौर इनाम प्रदान किया था।[34]

उत्तर मुग़लकालीन शासक बहादुरशाह प्रथम द्वारा सिरमौर के राजा भीम प्रकाश (भूप्रकाश) के नाम 29 रबि-उस-सानी,1120 हिजरी (18 जुलाई, सन1708) एवं 22 शव्वाल,1122 हिजरी (13 दिसम्बर, सन1710) को जो फरमान जारी किये गये थे, वह भी फरमान-ए-सियासी थे।[35] प्रथम फरमान द्वारा बहादुरशाह प्रथम ने हरि प्रकाश की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी के रूप में भीम प्रकाश के नाम की पुष्टि की थी और द्वितीय फरमान द्वारा भीम प्रकाश को सिक्ख बन्दाबहादुर के दमन हेतु सैनिक कार्रवाई करने के आदेश दिये थे। सिरमौर के राजा के साथ ही उक्त तिथि (22 शव्वाल,1122 हिजरी) को ही बहादुरशाह ने गढ़वाल के राजा फतेहशाह को भी सियासी फरमान जारी करके निर्देशित किया कि वह भी बन्दाबहादुर के दमन अभियान में मुग़ल सेना का साथ दे।[35]

V

उक्त शोध अध्ययन से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि सल्तनतकाल में शासकीय आज्ञापत्रों के लेखन कला की अनेक शैलियाँ मुग़लकाल में और अधिक परिष्कृत-विकसित हुई तथा भिन्न-भिन्न प्रशासनिक विषयों के लिए फरमान लेखन की प्रथक-प्रथक शैलियाँ प्रचलित हुई। फलस्वरूप फरमानों की अनेक श्रेणियों का प्रचलन हुआ। अत: उन पूववर्ती इतिहास लेखकों के इस अभिमत से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि मुग़ल शासकों द्वारा मध्य हिमालयी क्षेत्र के राजाओं ने नाम जारी समस्त फरमान केवल एक ही श्रेणी के फरमान थे। वस्तुत: यह फरमान एक ही श्रेणी के नहीं, बल्कि फरमानों विभिन्न श्रेणियों के थे, जिन्हें प्रस्तुत शोध अध्ययन के आधार पर निम्नांकित तालिका के माध्यम से श्रेणीबद्ध प्रस्तुत किया गया है:-

मुग़लकालीन फरमान लेखन, कला-शैलियाँ एवं उनके परिप्रेक्ष्य में मध्य हिमालयी क्षेत्र के राजाओं के नाम जारी मुग़ल शासकों के फरमानों का वर्गीकरण

क्र0 स0	फरमान जारी करने वाले मुग़ल शासक	तिथि ई0 सन्	पर्वतीय राजा का नाम एवं राज्य	फरमान की श्रेणी
1	अकबर	नवम्बर, 1588	कुमाऊँ का राजा रुद्रचन्द	फरमाने मुल्की व माली
2	शाहजहाँ	16 मई, 1654	कुमाऊँ का राजा बाजबहादुरचन्द	फरमाने सियासी
3	शाहजहाँ	16 मई, 1654	सिरमौर का राजा मानधाता प्रकाश	फरमाने सियासी
4	शाहजहाँ	8 दिसम्बर,1654 एवं 18 फरवरी, 1655	कुमाऊँ का राजा बाजबहादुरचन्द	फरमाने सियासी
5	शाहजहाँ	8 दिसम्बर, 1654 एवं 18 फरवरी, 1655	सिरमौर का राजा मानधाता प्रकाश	फरमाने सियासी
6	शाहजहाँ	30 मार्च, 1655	सिरमौर का राजा सौभाग्य प्रकाश	फरमाने सियासी
7	शाहजहाँ	14/15,मार्च 1656	कुमाऊँ का राजा बाजबहादुरचन्द	फरमाने मुल्की व माली
8	औरंगज़ेब	6 जुलाई, 1658	सिरमौर का राजा सौभाग्य प्रकाश	मन्शूर, रम्ज़ व इशाराहे आलमगीर
9	औरंगज़ेब	4 अगस्त, 1658	कुमाऊँ का राजा बाजबहादुरचन्द	मन्शूर, रम्ज़ व इशाराहे अलमगीर
10	औरंगज़ेब	6/7 जुलाई, 1659	सिरमौर का राजा सौभाग्य प्रकाश	फरमाने सियासी
11	औरंगज़ेब	24 जनवरी, 1660	कुमाऊँ का राजा बाजबहदुरचन्द	मुल्की व माली
12	औरंगज़ेब	3 अगस्त, 1661	सिरमौर का राजा सौभाग्य प्रकाश	मुल्की व माली
13	औरंगज़ेब	26 अगस्त, 1662	गढ़वाल का राजा पृथ्वीपतिशाह	फरमाने बयाज़ी
14	औरंगज़ेब	14 जनवरी, 1665	गढ़वाल का राजा फतेहशाह	फरमाने सियासी
15	औरंगज़ेब	5 अगस्त, 1667	सिरमौर का राजा बुद्ध प्रकाश	फरमाने सियासी

16	औरंगज़ेब	5 जून, 1674	सिरमौर का राजा बुद्ध प्रकाश	फरमाने सियासी
17	औरंगज़ेब	6 अक्टूबर, 1697	सिरमौर का राजा बुद्ध प्रकाश	फरमाने सियासी
18	औरंगज़ेब	4 अगस्त, 1704	कुमाऊँ का राजा जगतचन्द	हस्ब–उल–हुक्म
19	औरंगज़ेब	23 जनवरी, 1706	कुमाऊँ का राजा जगतचन्द	मुल्की व माली
20	बहादुरशाह प्रथम	18 जुलाई, 1708	सिरमौर का राजा भीम प्रकाश	फरमाने सियासी
21	बहादुरशाह प्रथम	28, अगस्त, 1710	गढ़वाल का राजा फतेहशाह	फरमाने सियासी
22	बहादुरशाह प्रथम	13 दिसम्बर,1710	गढ़वाल का राजा फतेहशाह	फरमाने सियासी
23	बहादुरशाह प्रथम	13 दिसम्बर,1710	कुमाऊँ का राजा जगतचंद	फरमाने सियासी
24	मौहम्मदशाह	24 मई,1743	कुमाऊँ का राजा कल्याण चन्द	मुल्की व माली

संदर्भ एवं टिप्पणियाँ

1. मुहिउद्दीन, मोमिन, चांसेल्लरी एण्ड पर्शियन एपिस्टलोग्राफी अन्डर द मुग़ल्स, पृ0 45,163,कलकत्ता,1970.
2. वही, उपर्युक्त.
3. तिरमिज़ि, एस.ए.आई, मिसिलैनी ऑफ मिडिवल इंडिया, पृ0 3, दिल्ली, 1986.
4.-8. वही, उपर्युक्त.
9. शाहजहाँ के फरमानों के लिए देखिए, पर्ति, आर.के. द्वारा सम्पादित लिस्ट ऑफ मिस्सलेनियस पर्शियन डॉक्युमैंट्स, पृ0 3-5, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली.
10-15. तिरिमिज़ि ,एस.ए.आई, वही, उपर्युक्त, पृ0 8-12.
16. अबुलफज़्ल, अकबरनामा, भाग 3, पृ0 349, 537, बिब. इंडि., कलकत्ता.
17. पर्ति, आर, के, वही, उपर्युक्त.
18. वही, उपर्युक्त एवं ख़ाँ, इनायत, शाहजहाँनामा, अग्रेंज़ी अनुवाद, बेगले एवं देसाई, दिल्ली, 1995. एवं ख़ाँ, शाहनवाज़, हयी, अब्दुल, मआसिर-उल-उमरा, अंग्रेज़ी अनुवाद, बेवरिज एवं प्रसाद, बेनी, भाग पृ0 768-769, पटना, 1979.

19. चरक, एस.डी.,हिस्ट्री एण्ड कल्चर आर्फ हिमालयन स्टेट्स, भाग 2,पृ0 182, दिल्ली,1978.

20. मुन्शी, देवी प्रसाद, शाहजहाँनामा, हिन्दी संस्करण, पृ0 271, दिल्ली, 1975.

21. पांडे, बद्रीदत्त, कुमाँऊ का इतिहास, पृ0 284, 285, अल्मोड़ा, 1937, एटकिन्सन,12 ई.टी., हिमालयन गज़ेटियर, भाग 2, पृ0 564, चरक, एस.डी., वही,उपर्युक्त.

22.-24. सिंह, आभा, यू.पी. हिमालयाज़ एण्ड द मुग़ल एम्पायर, शोध-पत्र, यू.पी. हिस्टौरिकल रिव्यु,पृ0 53, अंक-1, न्युसिरीज़, गोरखपुर, 2004.

25. सिंह, रणजोर, कुँवर, तारीख़-ए-रियासत सिरमौर, परिशिष्ट-7, इलाहाबाद, 1911.

26. पांडे, बद्रीदत्त, वही, उपर्युक्त.

27. अहलुवालिया, एम.एस., हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, पृ0 118-119, दिल्ली, 1986.

28. श्रीवास्तव, के.पी., मुग़ल फरमान्स, भाग-1, पृ0 53,60, लखनऊ, 1974.

29-31.अहलुवालिया, एम. एस., वही, उपयुक्त.

32. पर्ति, आर.के., वही, उपर्युक्त, पृ0 8.

33-34. अख़बारात-ए-दरबार-मुअल्ला, सिंह, आभा द्वारा उद्धृत, वही, पृ0 54, 62.

35.पर्ति, आर.के., वही, उपर्युक्त, डॉक्युमैंट सं0 6 एवं ख़ाँ, शाहनवाज़, हयी, अब्दुल, वही, भाग 2, खण्ड 1, पृ0 297-298.

36.अख़बारात, वही, आलम मुज़फ्फ़र, क्राइसेस ऑफ एम्पायर इन मुग़ल नॉथ इंडिया, दिल्ली, 1986.